

सूचना

जिस रुट पर 20 से कम बच्चे होंगे, उस रुट पर बस सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी। एक सप्ताह तक प्रतीक्षा करने के पश्चात भी यदि उस रुट पर 20 बच्चों का पंजीकरण नहीं होता है तो 27. 5.2016 को बस के लिए ली गई राशि वापस कर दी जाएगी। राशि वापस लेने के लिए भुगतान हेतु रसीद की मूल प्रति तथा सदस्या कार्ड लाना आवश्यक है।

आदेशानुसार
सक्षम प्राधिकारी